

दिनांक 11.12.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:— पंजी में संधारित।

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि सभी योजनाओं अन्तर्गत अभी तक प्रगति धीमी है, व्यय कम हुआ है एवं लक्ष्य से हमलोग बहुत पीछे हैं। आचार संहिता लागू होने के कारण कुछ योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब हुआ है। कुछ योजनाओं की स्वीकृति अतिशीघ्र होने वाली है। निदेश दिया गया कि आने वाले समय में सभी योजनाओं को तत्परता से क्रियान्वित किया जाय एवं जहाँ कहीं कोई तकनीकी बाधा हो रही हो तो उसका बैठक कर समाधान कर लिया जाय।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. फसल क्षति/डीजल अनुदान/फसल आच्छादन :-

- 2.1 सूचित किया गया कि चक्रवात से हुई फसल क्षति हेतु पाँच जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें मधुबनी एवं सहरसा जिले से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस राशि का व्यय प्रतिवेदन/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। समस्तीपुर एवं भागलपुर के जिला पदाधिकारी से ओलावृष्टि से संबंधित प्रत्यार्पण प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(अनु० – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

- 2.2 सूचित किया गया कि रोहतास जिले में खरीफ मौसम में डीजल अनुदान मद में आवंटित राशि का व्यय नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास को अविलम्ब राशि प्रत्यार्पित करवाने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

- 2.3 रबी 2015-16 में गेहूँ के तीन सिंचाई एवं अन्य रबी फसलों के दो सिंचाई हेतु डीजल अनुदान मद में राशि का आवंटन सभी जिलों को भेज दिया गया है। कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप कृषकों को डीजल अनुदान वितरण करने का निदेश दिया गया है।

(अनु० – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- 2.4 खरीफ मौसम में डीजल अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि में से जिन जिलों में राशि अवशेष रह गया है, उसे अविलम्ब प्रत्यार्पित करने एवं जहाँ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो राशि की मांग कर विस्तारित तिथि 31.12.2015 तक वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनु० – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- 2.5 रबी में विभिन्न फसलों का आच्छादन प्रतिवेदन सहरसा, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के जिलों से प्राप्त नहीं हो रहा है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रतिदिन आच्छादन प्रतिवेदन सांख्यिकी कोषांग को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य/सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. कृषि यांत्रिकीकरण :-

- 3.1 राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) के द्वारा सूचित किया गया कि कृषि यांत्रिकीकरण (राज्य योजना) हेतु 175.00 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत हो गयी है एवं आवंटन सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्त आवेदन का जाँच अविलम्ब करने का निदेश दिया गया। अररिया, बाँका, बेगूसराय, वक्सर एवं दरभंगा में आवेदन जाँच का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। जमरूई एवं गोपालगंज में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर पर बहुत अधिक आवेदन जाँच हेतु लम्बित है। कैमूर जिला में जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर बहुत अधिक आवेदन जाँच हेतु लम्बित है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रति दिन अनुश्रवण करें की कितना आवेदन कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर जाँच हेतु लम्बित है। निदेश

दिया गया कि दिनांक 20.12.2015 तक प्राप्त सभी आवेदनों का जाँच कार्य सभी स्तर पर पूरा कर परमिट निर्गत किया जाए। समय सीमा के अन्दर जिस स्तर पर कार्य पूर्ण नहीं होता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने एवं वेतन की निकासी पर रोक लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.2 अरवल, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, भोजपुर, मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद एवं शिवहर में बहुत कम आवेदन प्राप्त हुआ है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को विशेष ध्यान देने एवं जो किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से दिनांक 12.12.2015 को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-सभी सं० नि०, शष्य)

3.3 वित्तीय वर्ष 2014-15 के लंबित आवेदन पत्रों को वर्ष 2015-16 में Carry Forward करने का आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया था। लंबित आवेदन पत्र को अविलम्ब Carry Forward करने या जो किसान यंत्र लेना नहीं चाहते हैं उनसे लिखित में प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.4 प्रधान सचिव, कृषि द्वारा यांत्रिकरण योजना की 50 प्रतिशत राशि दिसम्बर, 2015 में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि जनवरी, 2016 में व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.5 इस वर्ष कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत किसान मेला के आयोजन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। फिर भी कृषकों को जागरूक करने तथा कृषि यंत्रों के प्रचार-प्रसार एवं प्रत्यक्षण हेतु प्रत्येक जिला में दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में कृषि यांत्रिकरण मेला आयोजित करने का निदेश दिया गया। जिन जिलों द्वारा मेला आयोजन की तिथि पूर्व में नहीं उपलब्ध कराया गयी थी, उनसे मेला की तिथि प्राप्त की गई।

3.6 निदेश दिया गया कि अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित भंडार का सत्यापन एवं जाँच सभी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय। जिन जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा सूची के आधार पर राशि की निकासी की गई है तथा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं राशि अवशेष है, तो अगर कोई देयता (Liability) है तो उसका अविलम्ब भुगतान कर दिया जाय तथा शेष राशि को कृषि निदेशालय, बिहार के पत्र सं० 3/कृ०बजट-वि०-22/2012-5829 दिनांक 23.12.2014 के आलोक में कोषागार में जमा कर दिया जाय।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.7 बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की मुख्य समिति के अध्ययन दल- की अध्ययन यात्रा के दौरान समिति की बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुसार तैयार प्रश्नावली में कृषि विभाग से संबंधित कंडिका का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु औरंगाबाद, बक्सर एवं भोजपुर जिले को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.8 कृषि यांत्रिकीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में आयोजित मेलों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सीवान, सीतामढ़ी, बेगूसराय एवं खगड़िया जिलों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.9 माननीय सदस्य विधानसभा, श्री अवधेश कुमार राय का निवेदन सं०-2431/14 का मंतव्य सहित, समेकित उत्तर सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त निदेशक (शष्य), मुंगेर, सारण, तिरहुत, पूर्णिया एवं मगध प्रमंडल को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित संयुक्त निदेशक, शष्य)

3.10 माननीय सदस्य विधानसभा, श्री डॉ० रामानन्द यादव का प्रतिहस्ताक्षरित याचिका सं०-1149/15 का स्पष्ट मंतव्य सहित समेकित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य (तिरहुत प्रमंडल को छोड़कर) को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित संयुक्त निदेशक, शष्य)

3.11 जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय, गया, कैमूर, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सहरसा, सारण, जमुई, रोहतास एवं सीतामढ़ी को विभागीय पत्रांक 5767 दिनांक 09.12.2015 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र में नगर पंचायतों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.12 माननीय सदस्य विधानसभा श्री जनक सिंह का शून्यकाल सूचना सं०-20/14 का स्थल मंतव्य सहित समेकित उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) (तिरहुत प्रमंडल को छोड़कर) को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित संयुक्त निदेशक, शष्य)

4. बीज

4.1 रबी 2015-16 में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज के अंकुरण की स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 220 सर्विस नमूना में से 135 बीज नमूना अमानक पाया गया। कृषि निदेशक द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त मानक बीज प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की जाय। किसी भी कम्पनी/निगम के बीज के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित एवं नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

अनुपालन- सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)

4.2 जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि टी०डी०सी० के बीज में शिकायत प्राप्त होने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पारू को कम्पनी पर प्राथमिकी दर्ज करने का लिखित आदेश दिया गया था, परन्तु प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पारू द्वारा केवल डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को बीज नियमावली के विपरित प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसप्रकार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नियम के विपरित आदेश दिया गया एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा उसका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। इसलिए जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप में क्या आदेश निर्गत किया गया है और प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की प्रति कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन- जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं उप निदेशक (शष्य) बीज)

4.3 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा बताया गया कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा राज्य में गेहूँ के अलावा चना 4979 क्वी० NSC द्वारा एवं 104 क्वी० बिहार राज्य बीज निगम द्वारा, मसूर 1239.55 क्वी०, NSC द्वारा, 454.23 क्वी० बिहार राज्य बीज निगम द्वारा एवं 461.12 क्वी० बेतवा सीड्स कॉरपोरेशन, जालौन उत्तर प्रदेश द्वारा, मटर 1188 क्वी० NSC द्वारा, 250 क्वी० कृभको द्वारा एवं 768 क्वी० बेतवा सीड्स द्वारा, राई/सरसों 240.56 क्वी० NSC द्वारा एवं 76.42 क्वी० बिहार राज्य बीज निगम द्वारा तथा चारा फसलों के 5385.50 क्वी० बीज NSC द्वारा राज्य में वितरित किये गये हैं।

4.4 रबी 2015-16 के मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन भोजपुर, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, लखीसराय, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया एवं अररिया द्वारा Google Doc पर अपलोड नहीं किया गया है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रगति प्रतिवेदन यथा शीघ्र Google Doc पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4.5 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना खरीफ 2015 में कम उपलब्धि को देखते हुए अवशेष राशि से 5 जिलों में गरमा, 2016 में मूंग की खेती हेतु योजना तैयार की गयी है जिसका जिलावार लक्ष्य निम्नवत है-

मात्रा क्वी० में, राशि लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड की सं०	बीज ग्राम की सं०	किसान की सं०	बीज वितरण लक्ष्य		किसान प्रशिक्षण लक्ष्य		कुल राशि
					मात्रा	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	गया	24	72	7200	576.00	44.93	48	7.2	52.13
2	नवादा	14	30	2990	239.20	18.66	20	3.0	21.65
3	मुजफ्फरपुर	16	48	4800	384.00	29.95	32	4.8	34.75
4	मधुबनी	21	63	6300	504.00	39.31	42	6.3	45.61
5	समस्तीपुर	20	60	6000	480.00	37.44	40	6.0	43.44
योग			273	27290	2183.20	170.29	182	27.3	197.58

संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी तैयारी ससमय करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4.6 अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण हेतु गेहूँ के अनुशंसित प्रभेदों की जानकारी दी गयी। इस योजना का 18 जिलों का प्रतिवेदन Google Doc पर लोड नहीं किया गया है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4.7 राज्य स्तर पर फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर की गणना हेतु जिलों से रबी 2015-16 का फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। बीज प्रतिस्थापन दर निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना है-

जिला का नाम-

क्र० सं०	फसल	बीज प्रतिस्थापन दर लक्ष्य (% में)	कुल आच्छादित रकवा (हे० में)	स्रोतवार बीज आपूर्ति, खपत एवं आच्छादन			बीज प्रतिस्थापन दर उपलब्धि (% में) (कॉलम 7/4x100)
				बीज कम्पनी का नाम	मात्रा (क्वी० में)	आच्छादन (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गेहूँ	38					
2	दलहन	27					
	चना						
	मसूर						
	मटर						
	अन्य						
3	तेलहन	70					
	राई/सरसो						
	अन्य						

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

